संख्या-2462/सैंतीस-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।
2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 29 नवम्बर, 2024

विषय- प्रदेश के स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों के संचालन/प्रबन्धन एवं स्थापना में सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज द्वारा कराये जाने हेतु Expression of Intrest (E.O.I) आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2019/5(53)/2018 दिनांक 02.01.2019 के माध्यम से प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु अस्थायी/स्थायी गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना कर इनका संचालन ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों यथा नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद द्वारा कराये जाने के सबंध में नीति का प्रख्यापन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6711 अस्थायी गो आश्रय स्थल, 334 वृहद गो संरक्षण केन्द्र, 306 कान्जी हाउस तथा शहरी क्षेत्र में 291 कान्हा गो आश्रय स्थल की स्थापना कर 1213996 बेसहारा गोवंशों को संरक्षित किया जा चुका है।

2. शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2019/5(53)/2018 दिनांक 28.01.2019 द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी/स्थायी गो आश्रय स्थलों के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु विस्तृत परामर्शीय निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 28.01.2019 के प्रस्तर-4 के बिन्दु स० 09 में उल्लेखित है कि यदि कोई स्वयं सेवी संस्था पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु लीज पर भूमि की मांग करे तो सरकारी भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी किन्तु संस्था द्वारा आश्रय स्थलों के पशुओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है" तथा प्रस्तर-6 के बिन्दु सं० 03 के अनुसार अस्थायी गो आश्रय स्थलों को संचालित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी की सहायता प्राप्त करने की दशा में उन्हें भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा मात्र Usufruct rights के अन्तर्गत संचालन में सहयोग लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप संलग्नक एम०ओ०यू० को आधार मानते हुए स्थानीय स्तर पर यथावश्यक संशोधन करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में थर्ड पार्टी द्वारा न तो भूमि पर कब्जा किया जायेगा और न ही भूमि के सत्व (Title) विषयक कोई लाभ प्राप्त किया जायेगा।"

3. वर्तमान में गैर सरकारी संगठन / पशु कल्याण से जुडी स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 61 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों तथा 40 अस्थायी गो आश्रय स्थलों सहित कुल 101 गो आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन वाद ओ०ए० नं0 394/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा जनपद जालौन व अन्य के सबंध में मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाक 13.08.2024 में उल्लिखित ओवर साइंट कमेटी (निरीक्षण समिति) द्वारा दी गयी संस्तुतियों के बिन्दु सं0 48(i) में प्रदत्त निर्देश/संस्तुति के क्रम में जनपदों में संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों का संचालन गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज से कराया जाना समीचीन होगा।

4. जनपद स्तर पर आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज को गो आश्रय स्थलों के संचालन हेतु Expression of Intrest (E.O.I) के आधार पर दिये जाने हेतु निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) जनपद में 400 से अधिक संरक्षित निराश्रित गोवश वाले गो आश्रय स्थलों, जिनके संचालन हेतु E.O.I. आमन्त्रित की जानी है का चयन एवं अनुमोदन जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा। इस बात की सम्भावना तलाशी जाय कि बड़े गो आश्रय स्थल, जिसमें दो से तीन हजार गोवंश को संरक्षित किया जा सके तथा उनके साथ समुचित चारागाह की भूमि टैग की जा सके और इस हेतु गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज को इन गो आश्रय स्थलों की स्थापना में सन्नद्ध किया जा सके और इसका समुचित संचालन और भरण-पोषण करने के साथ Self Sustainable माडल बनाने पर विचार किया जा सके। साथ ही साथ कार्पोरेट बॉडीज के सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग किये जाने की सम्भावना भी तलाश की जाये।

(2) गो आश्रय स्थलों में नियोजित किये गए श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान संचालन करने वाली सस्था द्वारा ही स्वयं वहन किया जाएगा।

(3) गो आश्रय स्थल की अवस्थापना सुविधाओं में मरम्मत तथा अन्य सामग्री यथा पशुओं को बांधने हेतु रस्सी, चारा मशीन व सबमर्सिबल पम्प की मरम्मत तथा बिजली पर आने वाले व्यय का भुगतान संचालन करने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही धनराशि रू0-50.00 प्रति गोवंश प्रति दिन का उपयोग संस्था द्वारा केवल भूसा, हरा चारा एवं सकेन्द्रित आहार के क्रय हेतु ही किया जाएगा।

(5) गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु CPCB द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर आवश्यकता का आंकलन कर इच्छुक संस्थाओं से Expression of Interest (E.O.I) के आधार पर गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज द्वारा कराये जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने कष्ट करे।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय, Signed by

(के0 रविन्द्र नायक) "RAVINDER NAIK KHATRAVATH"

प्रमुख सचिव Date: 29-11-2024 11:39:40

संख्या-2462(1)/सैंतीस-2-2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन।
(2) स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(सत्यवान सिंह)

संयुक्त सचिव।

सं.प. - 2462/ सैतीस - 2. 2024

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा मे,

प्रमुख सचिव,
पशुधन,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक-3196 /सामा0-2/बारह-656/2024-25 दिनांक-27 नवम्बर, 2024

विषय:-प्रदेश के अस्थायी/स्थायी गो आश्रय स्थलों के सचालन एवं प्रबन्धन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest,E.O.I) के आधार पर गैर सरकारी संगठनो/पशु कल्याण संस्थान संस्थाओ द्वारा कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4324/सैतीस-2-2019/5(53)/ 2018 दिनांक 02.01.2019 के माध्यम से प्रदेश मे निराश्रित गो वश संरक्षण हेतु अस्थायी/स्थायी गो संरक्षण कन्द्रो की स्थापना कर इनका संचालन ग्रामीण क्षेत्र मे स्थानीय ग्राम पचायतो तथा शहरी क्षेत्र मे नगरीय निकायो यथा नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद द्वारा कराये के संबध मे नीति का प्रख्यापन किया गया है। वर्तमान मे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो मे 6711 अस्थायी गो आश्रय स्थल, 334 वृहद गो संरक्षण केन्द्र, 306 कान्जी हाउस तथा शहरी क्षेत्र मे 291 कान्हा गो आश्रय स्थल की स्थापना कर 1213996 बेसहारा गो वंशो को संरक्षित किया जा चुका है।

शासनादेश संख्या-261/सैतीस-2-2019/5(53)/ 2018 दिनांक 28.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा निराश्रित/बेसहारा गो वंश हेतु अस्थायी/स्थायी गो आश्रय स्थलो के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु विस्तृत परामर्शीय निर्देश भी निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 28.01.2019 के प्रस्तर-4 के बिन्दु सं0 09 मे उल्लेखित है कि "यदि कोई स्वयं सेवी सस्था पशु आश्रय स्थल स्थपित करने हेतु लीज पर भूमि की मांग करे तो सरकारी भूमि लीज पर नही दी जायेगी किन्तु संस्था द्वारा आश्रय स्थलो के पशुओ की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।" तथा प्रस्तर 6 के बिन्दु सं0 03 के अनुसार " अस्थायी गो आश्रय स्थलो को संचालित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी की सहायता प्राप्त करने की दशा मे उन्हे भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही किया जायेगा। मात्र Usufruct rights के अन्तर्गत संचालन मे सहयोग लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप संलग्नक एम0ओ0यू0 को आधार मानते हुए स्थानीय स्तर यथावश्यक संशोधन करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा मे थर्ड पार्टी/संचालन हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन/संस्था द्वारा न तो भूमि पर कब्जा किया जायेगा और न ही भूमि के स्वत्व (Title) विषयक कोई लाभ प्राप्त किया जायेगा।"

वर्तमान मे गैर सरकारी संगठन/पशु कल्याण से जुड़ी स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलो मे 61 वृहद गो संरक्षण केन्द्रो तथा 40 अस्थायी गो आश्रय स्थलो सहित कुल 101 गो आश्रय स्थलो का संचालन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मे विचाराधीन वाद ओ0ए0 नं0 394/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा जनपद जालौन व अन्य के संबध मे मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 मे उल्लेखित ओवर साईट कमेटी (निरीक्षण समिति) द्वारा दी गयी संस्तुतियो के बिन्दु सं0 48(i) मे प्रदत्त निर्देश/संस्तुति के क्रम मे जनपदो मे संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलो को संचालन एन0जी0ओ0/पशु कल्याण से संबंधित सोसायटी/सामाजिक संस्थाओ से कराया जाना समीचीन होगा।

जनपद स्तर पर एन0जी0ओ0/पशु कल्याण से संबंधित सोसायटी/सामाजिक संस्थाओ/गैर सरकारी संगठनो को गो आश्रय स्थलो के संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest,E.O.I) के आधार पर दिये जाने हेतु निम्नवत कार्यवाही किये जाना प्रस्तावित है

1. जनपद मे 400 से अधिक संरक्षित निराश्रित गोवश वाले गो आश्रय स्थलो, जिनके संचालन हेतु E.O.I. आमंत्रित की जानी है का चयन एवं अनुमोदन जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा।

27-11-2024

2 गो आश्रय स्थलों में नियोजित किये गए श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान संचालन करने वाली संस्था द्वारा ही स्वयं वहन किया जाएगा।

3 गो आश्रय स्थल की अवस्थापना सुविधाओं मे मरम्मत तथा अन्य सामग्री यथा पशुओं को बांधने हेतु रस्सी, चारा मशीन व सबमर्सिबल पम्प की मरम्मत, बिजली पर आने वाला व्यय का भुगतान संचालन करने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

4 गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण हेतु दी जा रही धनराशि रू0–50.00 प्रति गोवंश प्रति दिन का उपयोग संस्था द्वारा केवल भूसा, हरा चारा एवं संकेन्द्रित आहार के क्रय हेतु ही किया जाएगा।

5 गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु CPCB द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के क्रम मे अनुरोध है कि शासन स्तर से प्रदेश के अस्थायी/स्थायी गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर इच्छुक संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest,E.O.I) के आधार पर गैर सरकारी संगठनो/पशु कल्याण संस्थान संस्थाओ द्वारा कराये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 पी0 एन0 सिंह)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।

Draft

Memorandum of Understanding

The Memorandum of Understanding made on this............day of .... (Month), ... (Year) between .... (name of local body) through its .... (Competent officer) (here in after called 'First party') which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor in office and assigns of the one part

AND

...., ... through .... (Name of officer of Goshala/Pt. Organization etc) (here in after called the 'Second party' which expression excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor assigns) of the other parts.

43/181

WHEREAS, the First Part has developed Temporary Govansh Ashray Sthal at Village ...., District ....of Uttar Pradesh in an area of about.............. acre and inside the said Temporary Govansh Ashray Sthal which has been made operational for keeping cows and its progeny (Cow, Calf, Heifer, Bull and Bullock) also name as Govansh, who are caught and are kept in Temporary Govansh Ashray Sthal.

Whereas, both the parties are agreed that the operation of the Temporary Govansh Ashray Sthal would be under taken by the .... and as such M.O.U. has to be prepared between the .... and the ....

And whereas, the First Party is the absolute owner in possession of the said .... acre of the land situated in village ...., District .... over Khasra Plot/s No.

....

...... and over the same place has been developed for keeping unsheltered/ uncared govansh (cow and its progeny) therein and provide them timely Food, water, proper Shelter and safety (as package of practice). The Animal Husbandry services will be supported by the nearby Government Veterinary Hospital under supervision of Chief Veterinary Officer.

And whereas, the Second Party is desirous to manage the said .... on the terms and conditions here in after contained in this memorandum of Understanding.

Now this deed of Memorandum of Understanding witness as follows:

1. That the term of MOU shall commence w.e.f. ....(DD/MM/YYYY and shall subject to the terms remain in force for a period of .... years that is upto .... (DD/MM/YYYY). The First Party can increase the period if it is satisfied with the package of practice of ....

2. That the .... shall not sell any cow and its progeny which are at above said place.

38

3. That the ………………………………… will keep the details of Cow and its progeny, newcomer govansh, birth and death of govansh provided to the ……………………………………………at above said place by the First Party.

4. That the ……………………………………… will not fix any limit of the animals sent / deployed by the First Party.

5. That the ………………………… will allow the officers of the Government or as deputed / nominated / authorized officer to inspect the ……………………………………………………and if any short coming is found same shall be rectified immediately by ……………………………………

6. That the First Party shall provide very primitive requirement as required to establish Temporary Govansh Ashray Sthal. The Second party will not ask to establish any permanent office accommodation etc. A temporary guard room may be sanctioned to provide rest place for guard and workers of …………………………… working at ……………………………
7. That the Electricity, Water, Bhunsa Godown and maintenance would be provided by the First Party at ………………………………

8. That there are several shades for keeping the cow and its progeny at ……………………………………………… but if it is found that the same are In-adequate new temporary shades shall be built by the First Party.

9. That out of ………… acre land ………… acre of land would be provided to the ………………………………… for growing green fodder for the animals; but the ownership of the ……..acre land would remain with the First Party. The Green fodder grown would only be utilized for the feeding of Govansh enlisted in ………………………………………, the ………………………………………will not sell fodder to any outsider.

10. That the First Party will provide the iron chains/rassa for chaining/ restraining of govansh , fodder machine etc as decided by Districtict Magistrate.

11. That the Veterinary Doctors and paraveterinary staff services would be provided by the First Party. An office Staff may be appointed by Second Party as supervision to supervise day to day activities. ……………………………………… (Second Party) will keep First Aid medicine form own source for prompt relief and over and above will be borne by the First Party.

12. That if the work of ………………………………… is not found satisfactory then the First Party shall have a right to cancel the Memorandum of Understanding by giving one month's notice and the work would be given to any other competent person or Society/Institution. The ……………………………………… will have no legal right to claim any damages for the First Party.

13. That if it is found that the ……………………………… is misutilizing the infrastructure, machines, equipments etc. provided by the First Party , the Second Party will be solely responsible for the losses.

14. That the First Party will undertake the maintenance, repairing, white washing, painting of ……………………………………………… provided to the ……………………………………………… by the First Party as per this MOU.

39

37

15. That the .... shall ensure that all the prophylactic vaccinations against contagious disease of livestock are given at appropriate time and proper records are kept. The vaccination of the govansh will be done by the Department of Animal Husbandry free of cost.

16. That the .... will accept all the Cow and its progeny sent by the Local bodies or the Government.

17. All sales proceeds from the disposal of Cow's Milk, dung and urine will be utilized in animal welfare activities.

18. All expenses towards stamp duty etc. on this M.O.U. Deed shall be borne by the Second Party.

19. That the First party shall make the payments for labour and security .

20. That the First Party shall provide the Maintenance items as and when required.

21. Any dispute and difference arising out of or in any way touching or concerning this M.O.U. shall be final by The District Magistrate. However if second party not agreed to accept the decision of the District Magistrate it shall be referred to the Sole Arbitrator the Commissioner of .... Division, ...and there shall be no objection to any such appointment. The award of the Arbitrator so appointed shall be final and binding on both the parties.

In witness where of the parties have signed this M.O.U. on the day and the year first above mentioned.

First Party	Second Party
Name Post Contact # e-mail -	Name Post Contact # e-mail -
Witness:	Witness:
1.	1.
2.	2.